देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

(A Digital Media Initiative to promote Accountability)

वॉल्यूम न.– 2022/palm/01 E-Newsletter, Issued in Public Interest रविवार, 6 फरवरी 2022

बीयर कंपनियों द्वारा पिछले 12 साल से उपभोक्ताओं से, मनमानी कीमते वसूली जा रही थी, CCI ने किया खुलासा!!!

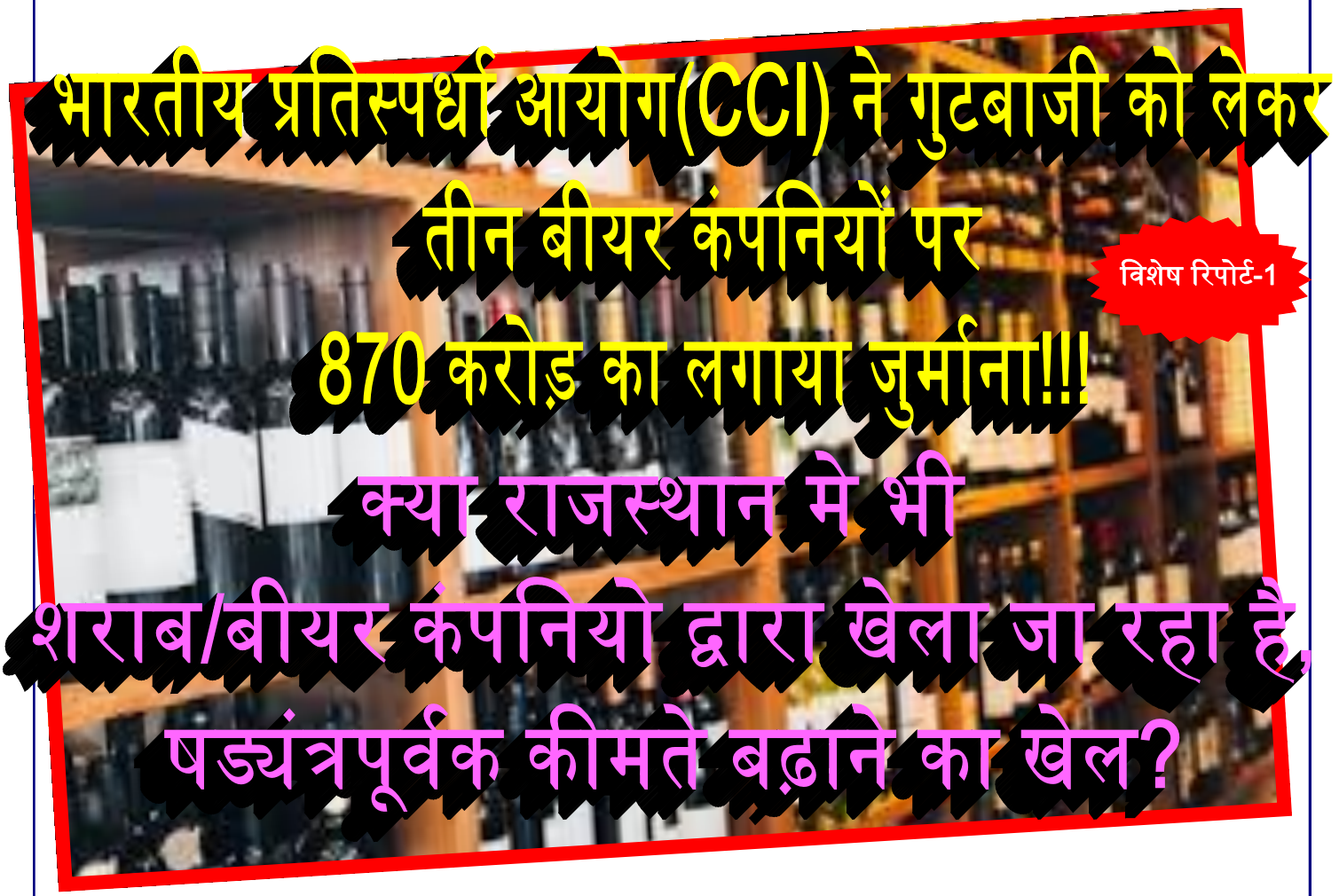

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग(CCI) ने गुटबाजी को लेकर तीन बीयर कंपनियों पर 870 करोड़ का लगाया जुर्माना!!!

विशेष रिपोर्ट-1

क्या राजस्थान मे भी शराब/बीयर कंपनियो द्वारा खेला जा रहा है, षड्यंत्रपूर्वक कीमते बढ़ाने का खेल?

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कर रहा शराब/ बीयर कंपनियो के नित नए खुलासे!

अधिकांश राज्य शराब (अल्कोहल) की कीमतें खुद तय करते हैं,इसके लिए कंपनियों को हर साल कीमतों को लेकर स्थानीय अधिकारियों की मंजूरी लेनी पड़ती है।लेकिन CCI द्वारा ऐसे कुछ सनसनीखेज मामलो के खुलासे किए गए है जिन्होने सभी शराब उपभोक्ताओ के होंश उड़ा दिये है|CCI के खुलासो से पता चला है कि किस प्रकार शराब/बीयर कंपनियाँ अपने फायदे के लिए साँठ-गांठ कर,ग्राहकों को लूट रही है, साथ ही स्वस्थ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को भी नुक्सान पहुंचा रही है|

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गुटबंदी(आपसी साँठ-गांठ) को लेकर तीन बीयर कंपनियों पर लगाया 870 करोड़ का जुर्माना!

गत वर्ष सितंबर माह मे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग(CCI) ने तीन बीयर बनाने वाली कंपनियों के साथ-साथ उनके व्यापार संघ "ऑल इंडिया ब्रूअर्स असोशिएशन(AIBA) पर पुलिंग यानि गुटबंदी(आपसी साँठ-गांठ) को लेकर 870 करोड़ का जुर्माना लगाया गया|आयोग द्वारा जारी की गयी प्रेस विज्ञप्ति द्वारा बताया गया कि SABMILLER INDIA(फॉस्टर बीयर के निर्माता),UNITED BREWERIES(किंग फिशर बीयर के निर्माता) और CARLSBERG INDIA ने देश के कई राज्यो और केंद्र शासित प्रदेशों मे गुटबंदी कर,2009 से लेकर अक्टूबर 2018 के दौरान बीयर की बिक्री और आपूर्ति को अपने फायदे के लिए प्रभावित किया|यह कार्यवाही CCI की और से कंपनियो पर गुटबंदी कर,दाम बढ़ाने,सप्लाई न करने जैसे आरोपो को लेकर की गयी|

कितना लगा जुर्माना? CCI ने जहां UNITED BREWERIES और CARLSBERG INDIA को क्रमश: 750 करोड़ औए 120 करोड़ रुपए जुर्माने के रूप मे अदा करने के निर्देश दिये,वहीं जांच मे सहयोग करने पर SABMILLER INDIA को जुर्माने मे 100 फीसदी कमी करने का ऑफर दिया|आपको बता दें कि SABMILLER INDIA को अब ANHEUSER BUSCH INDIA के नाम से जाना जाता है|

क्या थे आरोप?CCI ने अपनी विज्ञप्ति मे बताया कि ये तीनों कंपनियाँ आंध्र प्रदेश,कर्नाटक,महाराष्ट्र,ओड़ीसा,राजस्थान,पश्चिम बंगाल,दिल्ली और पुंडुचेरी मे प्राइस को-ओर्डिनेशन मे लगी हुई थी|साथ ही तीनों कंपनियाँ सामूहिक रूप से महाराष्ट,ओड़ीसा और पश्चिम बंगाल को बीयर की आपूर्ति नहीं कर रही थी और बेंगलुरु मे प्रीमियम संस्थानों के लिए बीयर की आपूर्ति के संबंध मे भी समन्वय कर रही थी|

CCI ने UNITED BREWERIES और ANHEUSER BUSCH INDIA को पुरानी बोतलों की खरीद के लिए भी तालमेल करता पाया|लिहाजा इस मामले मे UNITED BREWERIES के चार व्यक्तियों ANHEUSER BUSCH INDIA के चार व्यक्तियों,CARLSBERG INDIA के छह व्यक्तियों और AIBA के महानिदेशक को CCI द्वारा उनकी संबन्धित कंपनियों और असोशिएशन के प्रतिस्पर्धा विरोधी आचरण का दोषी पाया गया था|

2018 मे CCI ने तीन शराब बनाने वालों के कार्यालयों पर छापा मारा था और एक विस्तृत जांच प्रारम्भ की थी|भारत मे इन तीनों कंपनियों का मार्केट शेयर 88% है जो कि तकरीबन $7 बिलियन है|इस संबंध मे दोषी व्यक्तियों की आपसी बातचीत,व्हाट्सअप संदेशो और ई मेल के जरिये जांच एजेंसी को पता चला कि कैसे यह कंपनियाँ नियमित और सामूहिक रूप से कई राज्यों मे दाम बढ़ाने का खेल खेल कर,फायदा कमाने के लिए सोची समझी साजिश के तहत राज्यों के साथ मोलभाव करती थी|इसके लिए इन कंपनियों ने AIBA का सहारा लेकर साझा तौर पर,बढ़ी हुई कीमतों को तय करवाया|इसके बाद राज्यों मे तैनात कंपनियों के प्रतिनिधि संबन्धित विभाग के अधिकारियों से साँठ-गांठ कर/उन्हे रिश्वत देकर दाम बढ़ाने की पैरवी करते थे|

CCI एक्शन मोड मे|इसी प्रकार गत वर्ष अक्टूबर माह मे मनमानी कीमते तय करने के मामले मे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा दो कंपनियों पर की गयी छापेमारी|

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने गत वर्ष अक्टूबर माह मे तथाकथित मनमाने तरीके से कीमतें तय करने के मामले में दो शराब कंपनियों एसोसिएट अल्कोहल एंड ब्रेवरीज और सोम डिस्टिलरीज के कार्यालयों पर छापा मारा|

सूत्रों ने बताया कि दोनों कंपनियों पर मिलीभगत कर कीमतें तय करने और एंटी-ट्रस्ट नियमों के उल्लंघन का आरोप है|मामले की जांच के तहत सीसीआई के अधिकारी कई शहरों में तलाशी और जब्ती अभियान चल रहे थे|सूत्रों ने कहा, आयोग तथाकथित देशी शराब या कम कीमत वाली स्थानीय रूप से निर्मित शराब की कीमत तय करने के मामले में जांच की तैयारी कर रही है|भारत में शराब उद्योग के लिए सख्त नियम हैं|छापेमारी की खबर के बाद एसोसिएटेड अल्कोहल के शेयरों में करीब 3% की गिरावट आई|एसोसिएटेड की वेबसाइट पर मिली जानकारी के मुताबिक, कंपनी मध्य प्रदेश में शराब बेचती है और यह राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ी आपूर्तिकर्ता है|छापेमारी पर सीधे टिप्पणी किए बिना सोम डिस्टिलरीज के एक प्रवक्ता ने कहा कि शराब की कीमतें सरकारी अधिकारियों ने तय की थी,इसके लिए हमारे पास कोई अधिकार नहीं है,इस पर पूरी तरह सरकार का नियंत्रण है|इस मामले मे अभी भी जांच चल रही है और इस मामले मे भी दोषी कंपनियों पर भारी जुर्माना लगने की संभावना है|

राजस्थान मे बीयर कंपनियों के साथ साथ शराब कंपनियाँ भी इस खेल मे शामिल|

नाम नहीं छापने की शर्त पर आबकारी विभाग के एक अधिकारी द्वारा बताया गया कि जिस खेल का खुलासा CCI द्वारा किया गया है वह पिछले कई सालो से राजस्थान मे भी अधिकारियों की मिलीभगत से गुपचुप रूप से खेला जा रहा है लेकिन इनकी भनक किसी को नहीं है|विगत कुछ सालो मे कुछ शराब के ब्रांडो की कीमत मे अप्रत्याशित बड़ोतरी हुई है,जिसका जवाब किसी अधिकारी के पास नहीं है|कई शराब कंपनियो द्वारा पुराने ब्रांड की पेकेजिंग मे फेरबदल कर नया ब्रांड, बड़ी हुई कीमतों के साथ लॉन्च कर दिया जाता है जबकि उसकी गुणवत्ता मे कोई फेरबदल नहीं किया जाता है|इसी प्रकार कुछ विशेष ब्रांडो की कीमते विशेष तौर पर बढ़ायी गयी है,जिनके उत्पादन का खर्च अन्य ब्रांडो के उत्पादन खर्च जितना ही है,ऐसे ब्रांडो की कीमते बढ़ाने के कोई विशेष कारण भी नहीं बताए जाते है|

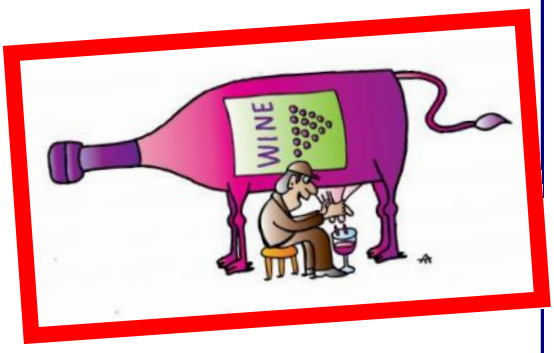

यदि जांच एजेंसियां इस मामले की जांच करे तो बड़े खेल का भंडाफोड़ किया जा सकता है|

जवाब मांगते सवाल?

1. राजस्थान सरकार द्वारा विगत 10 सालो मे कितनी शराब/बीयर कंपनियों के विभिन्न ब्रांडो की कीमते बढ़ायी गयी है?
2. राजस्थान सरकार द्वारा विगत 10 सालो मे कितनी शराब/बीयर कंपनियों के विभिन्न ब्रांडो की कीमते कम की गयी है?
3. विगत 10 सालो मे विभिन्न शराब/बीयर कंपनियों द्वारा कौन कौन से नए ब्रांड राज्य सरकार से पास करवाए गए,क्या सरकार द्वारा नए ब्रांडो की क्वालिटी और विशेषताओं की जांच करवायी गयी थी?नए ब्रांड और इनसे कमतर ब्रांडो के क्या क्वालिटी का फर्क था?इन ब्रांडो का उत्पादन और पेकेजिंग किन किन कंपनियों द्वारा की गयी?
4. शराब/बीयर कंपनियों द्वारा अपने ब्रांडो की कीमते बढ़ाने और कम करने मे क्या बड़ा खेल खेला जाता है?
5. इस खेल मे वित्त/आबकारी विभाग के कौन कौन अधिकारी शामिल है?
6. क्या विगत सालो मे CCI द्वारा शराब/बीयर कंपनियों की गुटबंदी के मामलो की वित्त/आबकारी विभाग द्वारा जांच करवाई गयी?
7. जिन शराब/बीयर कंपनियों के नाम(UNITED BREWERIES,CARLSBERG INDIA,ANHEUSER BUSCH INDIA ,एसोसिएट अल्कोहल एंड ब्रेवरीज और सोम डिस्टिलरीज) CCI ने अपनी जांच मे उजागर किए है,उनके ब्रांडो की कीमतों की राजस्थान मे पिछले 10 सालों मे क्या स्थिति रही?
8. गुटबंदी के अलावा और किस प्रकार शराब/बीयर कंपनियों द्वारा स्वस्थ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को नुक्सान पहुंचाया जाता है?
9. विगत 10 सालो मे ऐसे कितने मामले राज्य सरकार/वित्त विभाग/आबकारी विभाग के संज्ञान मे आए?उन पर राज्य सरकार/वित्त विभाग/आबकारी विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

राज्य मे शराब/बीयर कंपनियों द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों से साँठ-गांठ कर, की जा रही गड़बड़ियों/अनियमितताओ के खुलासे अगले अंको मे जारी....